न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 93/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 दावद पिता लाल मोहम्मद पिनारा उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

.... प्रार्थी

बनाम

1 जाकिर हुसैन पिता बाबूदीन मुसलमान उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

2 मुमताज बानू पिता बाबूदीन मुसलमान उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

3 मोहम्मद शरीफ पिता बाबूदीन मुसलमान उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

4 शरीफ बानू पत्नि बाबूदीन मुसलमान उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

5 शहनाज बानू पुत्री बाबूदीन मुसलमान उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

6 नाथू पिता चान्द मोहम्मद पिनारा उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

7 शायरी बानू पत्नि चान्द मोहम्मद पिनारा उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

8 सलीम पिता चान्द मोहम्मद पिनारा उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

9 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री सुनील कुमार शर्मा––––– प्रार्थी अधिवक्ता

राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

श्री राजेश वर्मा––––––––अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 08 अधिवक्ता

श्री विजय पाराशर –––––––अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

दिनांक 23.08..2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 04.08.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कोठिया पटवार मण्डल क्षेत्र कोठिया तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 229 प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में दर्ज

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां जिला–शाहपुरा

अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थी की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी वर्षो से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी संख्या 255 किस्म गै.मु.रास्ता एवं इसी प्रकार से विपक्षी संख्या 06 से लगायत 08 की आराजी संख्या 249 किस्म गै.मु.रास्ता, आराजी संख्या 248 में से नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कराया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 255, 248, 249 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 17.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी क्रम 06 से 08 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री राजेश वर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री विजय पाराशर द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का वर्षो से अप्रार्थीगण के खसरे से आवागमन का कथन असत्य है। प्रार्थी के पास मौके पर वैकल्पिक मार्ग पहले से ही मौजूद है, जिसका उपयोग प्रार्थी वर्षो से करता चला आ रहा है। प्रार्थी शुरूआत से ही अपने परिवार के सदस्यों की आराजियात संख्या 250, 254, 253 में से होकर अपनी आराजी में प्रवेश करता आ रहा है। जवाबदाता के खसरान में से न तो वर्तमान में कोई रास्ता निकल रहा है न ही कभी निकला था। 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह झूंठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय संगत नही है। शुरूवात से ही प्रार्थी की वैकल्पिक मार्ग से बिना किसी बाधा/रूकावट के आवाजाही रही है।

यदि प्रार्थी को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थीगण को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थीगण का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा कोठिया प.ह.क्षेत्र कोठिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के सहखातेदारी खसरान संख्या 255 रकबा 0.06 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ता (20 फीट चौडाई/6456 वर्गफीट) अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 08 के सहखातेदारी खसरा संख्या 249 रकबा 0.02 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ता (10 फीट चौडाई/2150 वर्गफीट) खसरा संख्या 248 रकबा 0.02 हैक्टयर सम्पूर्ण किस्म चाही प्रथम कुल रकवा 0.10 हैक्टयर (10756 वर्गफीट) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

सहायक कलक्टर
एवं उप ... अधिकारी
फुलियाकलां ... जिला-शाहपुरा

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है। जवाबदाता ने बतौर वैकल्पिक मार्ग जवाब में दिये गये हवाले के मुताबिक प्रार्थी का शुरूआत से ही अपने परिवार के सदस्यों की आराजियात संख्या 250, 254, 253 में से होकर अपने खसरे में आवागमन हो सकना अथवा किया जाना अवगत कराया है। लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग का सुचारू एवं निकटतम होना जवाबदाता ने राजस्व नक्शे के माध्यम से पूर्णतया साबित नही किया है।
2. प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।
3. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।
4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थीगण को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के मुकाबले प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 20 फीट के स्थान पर 15 फीट चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा कोठिया प.ह.क्षेत्र कोठिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के सहखातेदारी खसरान संख्या 255 रकबा 0.045 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ता (15 फीट चौडाई/4842 वर्गफीट) अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 08 के सहखातेदारी खसरा संख्या 249 रकबा 0.015 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ता (7.5 फीट चौडाई/1613 वर्गफीट) खसरा संख्या 248 रकबा 0.015 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 0.075 हैक्टयर (8,067 वर्गफीट) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा कोठिया प.ह.क्षेत्र कोठिया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र अरवड तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के सहखातेदारी खसरान संख्या 255 रकबा 0.045 हैक्टयर किस्म गै.मु. रास्ता (15 फीट चौडाई/4842 वर्गफीट) अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 08 के सहखातेदारी खसरा संख्या 249 रकबा 0.015 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ता (7.5 फीट चौडाई/1613 वर्गफीट) खसरा संख्या 248 रकबा 0.015 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 0.075 हैक्टयर (8,067 वर्गफीट) भूमि मुताबिक

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां जिला–शाहपुरा

प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 255, 249, 248 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.075 हैक्टेयर (750 वर्गमीटर) मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 55,334/–रूपये अदायगी कर दी जावेगी/राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
फुलियाकलां, शाहपुरा